783 (86)

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक :--वि0प्रा0 / पो0रा0स्था0--18 / 10 --   / राँची, दिनांक :--

संकल्प

विषय : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान (राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक) के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप/AICTE) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेज सहित) दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में।

विभागाधीनस्थ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान (राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक) के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप/AICTE), नई दिल्ली के पत्रांक एफ0–1--65 / सी0डी0 / एन0आई0सी0 / 98--99 दिनांक 30.12.1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान (सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से विभागीय राज्यादेश संख्या 748 दिनाक 02.06.2003 एव समय--समय पर किये गये संशोधन के अनुसार लागू है।

2. षष्ट्म वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सभी श्रेणी के केन्द्रीय कर्मचारियों एवं संस्थानों / विभागों के पदाधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप/AICTE), नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 37-3/Legal/2010, दिनांक 13.03.2010 भारत सरकार के अधिसूचित विनिमय राजपत्र असाधारण (भाग-- III खंड–4) एवं दिनांक 14.05.2010 को प्रकाशित शुद्विपत्र के द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के लिए दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान, नियुक्ति, प्रोन्नति (वृत्ति उन्नयन योजना), ऐकेडमिक ग्रेड पे (ए.जी.पी.) सेवा निवृत्ति की आयु एवं अन्य सेवा शर्तों की अनुशंसा की गई है।

3. राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान (राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक) के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप/AICTE), नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवान्समेन्ट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित (सेवा निवृति की आयु सीमा छोड़कर) को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है।

4 सामान्य :--

(i) पोलिटेकनीक में शिक्षकों के संबंध में व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और कार्यशाला अधीक्षक पदनाम होंगे।

(ii) पोलिटेकनीक मे शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन, उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त शैक्षणिक ग्रेड वेतन (संक्षेप में ए.जी.पी.) के साथ रू0 15600–39100 तथा रू0 37400–67000 के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जायेंगे। प्रत्येक वेतन बैंडों में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएँ होगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गो के पास अर्हता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, उनके कैरियर के दौरान उर्ध्ववर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

5 डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान (राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक) के शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्त्ते तथा कैरियर संवर्धन (एडवान्समेन्ट) स्कीम निम्न प्रकार होगा :–

(i) उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र मे बी०ई०/बी०टेक० अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहें हों अथवा पोलिटेकनीक संस्थाओं में पहले से ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हो, रू0 5400 के ए.जी.पी. के साथ रू0 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जायेगा तथा वे उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में मास्टर डिग्री की अर्हता पूरी कर लेने पर रू0 6000 के ए.जी.पी. में चले जायेंगे।

(ii) उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्रमें एम०टेक० (निष्णात) अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहें हों अथवा पोलिटेकनीक संस्थानों में पहले से ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हो, रू0 6000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जायेगा।

(iii) 4 वर्षो की सेवा पूरी कर लेने वाला व्याख्याता, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच०डी० डिग्री धारित हों, रू0 7000 के ए.जी.पी. में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(iv) प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में, जैसा कि तकनीकी शिक्षा में परिभाषित है, निष्णात (स्नातकोत्तर) डिग्री धारण करने वाला व्याख्याता, व्याख्याता के रूप में 5 वर्षो की सेवा पूरी करने के उपरांत रू0 7000 के ए.जी.पी. के लिए पात्र होगा।

(v) ऐसा व्याख्याता जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच०डी० अथवा मास्टर डिग्री नही हैं, व्याख्याता के रूप में 6 वर्षो की सेवा पूरी करने के उपरांत रू0 6000 के ए.जी.पी. के लिए पात्र होगा।

(vi) ऐसा व्याख्याता जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच०डी० अथवा मास्टर डिग्री नही हैं, व्याख्याता के रूप में 9 वर्षो की सेवा पूरी करने के उपरांत रू0 7000 के ए.जी.पी. के लिए पात्र होगा।

(vii) सभी व्याख्याताओं के लिए रू0 5400 के ए.जी.पी. से रू0 6000 के ए.जी.पी. में तथा रू0 6000 के ए.जी.पी. से रू0 7000 के ए.जी.पी. में उर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(viii) व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पदों के पदधारियों के वेतन [(अर्थात रू0 10000–15200 (अपुनरीक्षित वेतनमान)] उनके वर्तमान वेतन के आधार पर रू0 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जायेगा, जिसका ए.जी.पी. रू0 7000 होगा।

(ix) रू0 7000 के ए.जी.पी. के साथ 5 वर्षो की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन, रू0 8000 के ए.जी.पी. में जाने के लिए पात्र होंगे।

(x) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने रू0 12000--18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, रू0 9000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में रखे जायेंगे तथा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने जारी रहेंगे।

(xi) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 को रू0 12000--18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में 3 वर्ष पूर्ण नहीं की हैं, उस समय तक रू0 8000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 15600--39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखें जाऐंगे, जबतक कि व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते तथा उसके पश्चात उन्हें रू0 37400--67000 के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाएगा।

(xii) रू0 8000 के ए.जी.पी. के साथ शिक्षण के 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप (AICTE) द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन, रू0 9000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(xiii) विभागाध्यक्ष का पद रू0 9000 ए.जी.पी. के साथ रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्त्ती हुए विभागाध्यक्ष को रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में, जिसमें रू0 9000 का ए.जी.पी. होगा, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जायेगा।

(xiv) रू0 9000 के ए.जी.पी. में 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय--क्षेत्र में पीएच०डी० धारण करने वाले विभागाध्यक्ष अभातशिप (AICTE) द्वारा निर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अध्यधीन रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में रू0 10000 के ए.जी.पी. के पात्र होंगे।

(xv) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के स्तर पर प्रारंभिक सीधी--भर्त्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें वे होंगी, जो अभातशिप (AICTE) द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई है।

(xvi) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन मे सभी संवर्धन (एडवान्समेन्ट) के लिए अभातशिप (AICTE) अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक के अन्यून दो पुनःचर्या कार्यक्रमों तथा एक एक सप्ताह (प्रत्येक) के दो TEQIP प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यधीन प्रभावी होंगे।

(xvii) कार्यशाला अधीक्षक को व्याख्याता के समकक्ष माना जाऐगा तथा उसपर उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए व्याख्याता के समान ही विचार किया जाएगा।

(xviii) पोलिटेकनिकों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियॉं अभातशिप (AICTE) द्वारा समय--समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगी तथा प्राचार्य का पद रू0 10000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को रू0 10000 के ए.जी.पी. साथ रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा। प्राचार्य को 2000/-- प्रतिमाह विशेष भत्ता दिया जायेगा।

(xix) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित विभाग के अधीन डिप्लोमा संस्थानों में दिनांक 05.01.1979 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से निम्न प्रकार से देय होगा :-

क्र0	वर्त्तमान पदनाम	वर्त्तमान वेतनमान (रू0 में)	पुनरीक्षित वेतनमान	
			पे बैंड	ए0जी0पी0*
01	व्याख्याता / कर्मशाला अधीक्षक	8000-275-13500	15600-39100	5400
02	विभागाध्यक्ष	12000-420-18300	37400-67000	9000
03	प्राचार्य	16400-450-20000	37400-67000	10000+2000 विशेष भत्ता

* ए0जी0पी0 – एकेडमिक ग्रेड पे (Academic Grade Pay)

6. कैरियर संवर्धन :-

(i) छठा अभातशिप (AICTE) वेतनमान लागू करने के पूर्व दिनांक 30.12.2008 तक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत जो भी शिक्षक निर्धारित अभातशिप (AICTE) मानक के अनुरूप योग्यता एवं अर्हता प्राप्त कर चुके होंगे उन्हें इस योजना के तहत दिनांक 30.12.2008 तक प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा। वर्ष 2008 के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा दिनांक 30.06.2010 को अधिसूचित विनियम के तहत ही शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्राप्त होगा।

(ii) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अभातशिप (AICTE) अनुमोदित दो सप्ताह का दो पुनःचर्या कार्यक्रमों सहित एक सप्ताह के दो TEQIP (Technical Education Quality Improvement Programme) प्रायोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की शर्त्त रखी गई है। परंतु, विभागान्तर्गत पोलिटेकनिक संस्थानों में TEQIP कार्यान्वित नहीं की जा रही है। अतः एक सप्ताह के दो प्रायोजित पुनःचर्या कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य होगी।

(iii) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन के सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अभातशिप (AICTE) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

7. पीएच0डी0 / एम0टेक0 तथा उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन :-

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम-कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में प्रदान की गई पीएच0डी0 की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर 5 गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ अनुमान्य होगी।

(ii) व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के समय एम0फिल0 डिग्री धारक दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रासंगिक शाखा / विषय क्षेत्र में एम0टेक0 डिग्री धारक भी प्रवेश स्तर पर दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(82)

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच०डी० डिग्री पूरा करते हैं, तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होंगे, यदि पीएच०डी० प्रासंगिक शाखा / विषय–क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम एवं कार्य मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत होने के समय पीएच०डी० प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच०डी० के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम--कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच०डी० प्रदान किये जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर--चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच०डी० प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच०डी० के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवाकाल में पीएच०डी० प्राप्त होने पर केवल तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के लाभ ले सकेंगे, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया हैं।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रासंगिक शाखा / विषय–क्षेत्र में एम0फिल0 अथवा एम0टेक0 डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन–वृद्धि के पात्र होंगें।

8. प्रभावी तिथि, वेतन–वृद्धियॉ, भत्ते, वेतन नियतन सूत्र एवं प्रायोज्यता :–

(i) पोलिटेकनिकों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगा एवं इनके बकाया का भुगतान राज्य सरकार के कर्मियों के भांति नियमानुसार दिनांक 01.01.2006 से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ii) डिप्लोमा स्तरीय संस्थान के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में चिकित्सा भत्ता, आवास किराया भत्ता, परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्तादि राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी होगा। गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियॉ भी दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी होगा।

(iii) प्रत्येक लाभान्वितों को इस आशय की एक जिम्मेवारी लेनी होगी कि पुनरीक्षित वेतनमान में किसी भी प्रकार के अधिक / वेतन निर्धारण में त्रुटि होने पर अधिक भुगतान हुए राशि का भविष्य में भुगतान होने वाली राशि से सामंजन नियमानुसार कर लिया जाएगा।

(iv) प्रत्येक वार्षिक वेतन–वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथा लागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा ए.जी.पी. में वेतन के कुल योग के 3 (तीन) प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(v) प्रत्येक अग्रिम वेतन–वृद्धि भी यथा लागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा ए.जी.पी. में वेतन के कुल योग के 3 (तीन) प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर–चक्रवर्ती होगी।

(vi) ए.जी.पी. की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन--वृद्धियों की संख्या, निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति पर वेतन–वृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार होगी, तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रू0

15600–39100 के वेतन बैंड से 37400–67000 के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन–वृद्धि नहीं दी जाएगी।

(vii) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन "नियतन सूत्र" को शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा।

(viii) वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड सरकार को देनी होगी। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा ऐसे मामलें पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त कर तद्नुरूप निपटारा करेगी।

9. अधिवर्षिता की आयु :–

(i) राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक के शिक्षकों की सेवा निवृति की आयु वर्तमान में लागू एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भांति 62 वर्ष रहेगी।

(ii) रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा शारीरिक सक्षमता के अध्यधीन, शिक्षक 62 (बासठ) वर्ष की आयु के पश्चात तीन वर्षों तक (65 वर्ष की आयु तक) संविदा पर नियुक्ति या पुनःनियोजित नियमानुसार किए जाएंगे। यह कार्यरत शिक्षकों के चयन अथवा प्रोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किए बगैर, केवल उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जाएगा।

(iii) डिप्लोमा स्तरीय संस्थान के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु, राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु के मामलें में लिये जाने वाले निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

10. संकाय मानदंड :–

पोलिटेकनिक के शिक्षकों के विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक तकनीकी अर्हता/योग्यता एवं अनुभव अभातशिप (AICTE) के दिनांक 05.03.2010 के विनियम एवं इसमें समय–समय पर किए गए सुधार के अनुरूप होगी। इस संबंध में AICTE द्वारा समय–समय पर निर्धारित अर्हत्ता योग्यता एवं शर्तों का पालन किया जायेगा, जो सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लागू होगा। सभी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी ।

11. नियुक्ति प्रक्रिया :–

(i) विभाग के अधीनस्थ डिप्लोमा स्तरीय संस्थान के सभी संवर्गीय पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विज्ञापन के गुणागुण के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जायेगी एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लागू होगा।

(ii) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष के स्तर पर प्रारंभिक सीधी भर्त्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्त्तें वे होंगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाए अथवा निर्दिष्ट की गई है तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित की जाएगी जो सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लागू होगा।

(iii) प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियाँ अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगा जो सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लागू होगा।

(iv) पीएच०डी० की समकक्षता 5 अंतर्राष्ट्रीय जरनल के प्रकाशन पर आधारित है जिसमें से प्रत्येक जरनल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।

(v) पीएच०डी० एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबधित विषय में होनी चाहिए।

12. अध्ययन अवकाश :–

जिन शिक्षकों द्वारा एम०टेक०/पीएच०डी० की उपाधि हासिल नहीं किया गया है उन्हें अभातशिप (AICTE) द्वारा किये जा रहे संशोधित नियमों के अनुरूप एम०टेक०/पीएच०डी० की उपाधि प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक अवकाश देय होगा। उपर्युक्त अध्ययन अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 204 के अनुसार देय होगा।

13. शिक्षकों के लिए विश्राम अवकाश :–

तकनीकी शिक्षा तथा उद्योग के बीच अंतरसंपर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी संस्थान (डिग्री एवं डिप्लोमा) के शिक्षकों को छः वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात पूरे सेवा काल में दो बार छः–छः माह के विशेष अवकाश पर विभाग द्वारा चयनित उद्योगों में काम करने हेतु अवसर दिया जाएगा।

14. अभातशिप (AICTE) समस्त विषय–क्षेत्रों में शोध–कार्य करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उपयुक्त "प्रारंभिक अनुदान" प्रदान करने के माध्यम से उपयुक्त दिशा–निर्देश के साथ अभातशिप एक स्कीम विनिर्दिष्ट करेगी।

15. व्यवसायिक विकास हेतु अनुदान :–

(i) नव नियुक्त शिक्षक को एक बार प्रारंभिक अनुदान के रूप में कम्प्यूटर, शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकें, शोध सहायता, कार्यालय सजावट हेतु एक लाख रूपये तक प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होगा। कार्यरत शिक्षकों को भी प्रोत्साहन अनुदान के रूप में एक लाख रूपये तक मिलेंगे।

(ii) सभी शिक्षकों को व्यवसायिक सोसाईटियों की सदस्यता हासिल करने के लिए तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सभाओं/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर एक लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।

16. 05.01.1979 के पूर्व नियुक्त अध्यापक :–

दिनांक 05.01.1979 के पूर्व नियुक्त सम्प्रति विभागाधीनस्थ पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत सहायक प्राध्यापक, जिन्हें पूर्व में उनके द्वारा धारित मूल पद को उत्क्रमित कर राज्य प्रायोजित प्रोन्नति योजना/कालबद्ध प्रोन्नति योजना के अंतर्गत सह प्राध्यापक के वेतनमान में प्रोन्नति दी गई थी एवं दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से अभियंत्रण विश्वविद्यालयों के सह–प्राध्यापक के लिए लागू पुनरीक्षित

वेतनमान रू0 12000–420–18300 का लाभ अनुमान्य किया गया था, ऐसे शिक्षकों को दि 01.01.2006 के प्रभाव से अभियंत्रण महाविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए अनुशंसित रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका ए.जी.पी. रू0 9000 होगा।

17. कर्मशाला अधीक्षक/पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा कर्मियों के लिए वेतनमान एवं सेवाशर्त्त :–

डिप्लोमा संस्थानों में अभातशिप (AICTE) के पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त्त आदि लागू होने के उपरांत अभातशिप (AICTE) द्वारा निर्धारित अर्हता/योग्यता के आधार पर नव नियुक्त कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा कर्मियों के लिए अभातशिप (AICTE) का वेतनमान एवं सेवा शर्त्त लागू होगा। पूर्व के नियुक्त कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा कर्मियों को राज्य सरकार का पुनरीक्षित वेतनमान लागू रहेगा।

18. उक्त अनुशंसाओं के क्रम में अभातशिप (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्गत Clarifications/संशोधन के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग इस संबंध में निर्गत संकल्प को सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर संशोधित कर सकेगा।

19. राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक में कार्यरत शिक्षकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि यदि वे चाहें तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहें किन्तु उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित शिक्षकों को इस आशय का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से तीस (30) दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देंगे उनके संबंध में मान लिया जायेगा कि वे नये वेतनमान एवं तदनुरूप सेवा शर्त में रहेंगे।

20. इस आदेश द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्त लागू करने के क्रम में सरकार के संबंधित नियम/परिनियम तदनुसार संशोधित समझे जाएंगे।

आदेश:– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले. एवं हक) झारखण्ड, राँची को प्रेषित की जाय।*

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(एल0 खियांग्ते)
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– वि0प्रा0/पो0रा0स्था0–18/10 /राँची दिनांक

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

78

ज्ञापांक :– वि0प्रा0 / पो0रा0स्था0–18 / 10 / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– वि0प्रा0 / पो0रा0स्था0–18 / 10 / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– वि0प्रा0 / पो0रा0स्था0–18 / 10 / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वीं मंजील, चन्द्रलोक बिल्डींग, जनपथ नई दिल्ली–110001 / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– वि0प्रा0 / पो0रा0स्था0–18 / 10 / राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :–आप्त सचिव, माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :– वि0प्रा0 / पो0रा0स्था0–18 / 10 – 783 / राँची, दिनांक 31-3-12

प्रतिलिपि :– निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/12
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।